भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5319

25 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड

5319. श्री मनीष जायसवाल:
श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह:
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:
डॉ. हेमांग जोशी:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्री चिन्तामणि महाराज:
श्रीमती संजना जाटव:
श्री बलभद्र माझी:
श्रीमती हिमाद्री सिंह:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:
श्री अभिमन्यु सेठी:
श्री हरीभाई पटेल:
श्री नव चरण माझी:
श्री जनार्दन मिश्रा:
श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:
श्री आलोक शर्मा:
श्री विनोद लखमशी चावड़ा:
श्री भोजराज नाग:
श्री अनुराग शर्मा:
डॉ. भोला सिंह:
श्रीमती अपराजिता सारंगी:
श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री मनोज तिवारी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' (ओएनओआरसी) योजना के अंतर्गत देश में, विशेषकर छत्तीसगढ़ के कांकेर, कोंडागांव, बालोद और धमतरी जिलों, भोपाल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, ओडिशा के नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, झारखंड में विशेषकर हजारीबाग और रामगढ़, भरतपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, शहडोल लोक सभा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश 13 तथा छत्तीसगढ़ के विशेषकर सरगुजा क्षेत्र में पोर्टेबिलिटी सुविधा का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

...2/-

(ख) क्या सरकार ने देश में, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच, विशेषकर भरतपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के जिलों में ओएनओआरसी योजना के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी के माध्यम से परिलक्षित प्रवास संबंधी रुझानों का आकलन किया है और यदि हां, तो सामयिक तथा दीर्घकालिक प्रवास संबंधी रुझानों से संबंधित प्रमुख निष्कर्षों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत दो वर्षों के दौरान नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और विशेषकर बुलंदशहर जिले को शामिल करते हुए उत्तर प्रदेश सहित देश में दर्ज किए गए अंतर-राज्यीय और अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी की संख्या कितनी है;
(घ) क्या विशेषकर छत्तीसगढ़ और विशेष रूप से सरगुजा क्षेत्र के लाभार्थियों और पोर्टेबिलिटी के संबंध में डेटा उपलब्ध है;
(ङ) सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत प्रवासी कामगारों और अन्य लाभार्थियों के लिए राशन की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;
(च) क्या ओएनओआरसी के प्रभावी कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए जागरूकता शिविर लगाए गए हैं और तकनीकी सुधार किए गए हैं;
(छ) उक्त योजना के अंतर्गत सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी, पारदर्शिता और पहुंच को और अधिक बढ़ाने के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं; और
(ज) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत डिजिटल निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की एक प्रौद्योगिकी-आधारित पहल है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों के लिए राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी सुवाह्यता सुनिश्चित करना है। ओएनओआरसी सुविधा को सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है, जिससे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। इस प्रणाली के तहत, पात्र लाभार्थी इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरणों के माध्यम से आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके देश भर में किसी भी उचित दर दुकान (एफपीएस) से अपने पात्रता का खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।

आज तक, ओएनओआरसी के तहत देशभर में 207 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज किए गए हैं, जो लाभार्थियों द्वारा इस सुविधा के व्यापक उपयोग को दर्शाता है।

राज्यवार पोर्टेबिलिटी लेनदेन इस प्रकार हैं:

- **छत्तीसगढ़** (कांकेर, कोंडागांव, बालोद, धमतरी जिले और सरगुजा क्षेत्र सहित): 65.36 लाख
- **ओडिशा** (नबरंगपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित): 31.30 लाख
- **उत्तर प्रदेश:** 17.83 करोड़
- **मध्य प्रदेश** (भोपाल और शहडोल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित): 8.38 करोड़
- **झारखंड** (हजारीबाग और रामगढ़ सहित): 1.27 करोड़

- **राजस्थान** (भरतपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित): 20.09 करोड़

(ख): अंतर-राज्यीय और अंतरा-राज्यीय दोनों प्रकार के लेनदेन सहित ओएनओआरसी पोर्टेबिलिटी लेनदेन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन (आईएमपीडीएस) पोर्टल (www.impds.nic.in) पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ): पिछले दो वर्षों (2024 और 2025) में देश में दर्ज किए गए कुल अंतर-राज्यीय और अंतरा-राज्यीय पोर्टेबिलिटी लेनदेन 74.06 करोड़ हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यवार पोर्टेबिलिटी लेनदेन इस प्रकार हैं:

- **ओडिशा** (नबरंगपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित): 31.30 लाख
- **उत्तर प्रदेश** (बुलंदशहर जिले सहित): 17.83 करोड़
- **छत्तीसगढ़** (सरगुजा क्षेत्र सहित) 65.36 लाख

(ङ) और (च): ओएनओआरसी सुविधा पीएमजीकेएवाई के सभी लाभार्थियों के लिए देशभर में निर्बाध रूप से उपलब्ध है। सरकार ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के प्रभावी कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए कई जागरूकता और तकनीकी उपाय किए हैं। निर्बाध पोर्टेबिलिटी को सक्षम बनाने के लिए, देशभर में लगभग 99.8% उचित दर दुकानों (एफपीएस) (अर्थात 5.51 लाख एफपीएस में से लगभग 5.50 लाख एफपीएस) में पूर्णतः स्वचालन स्थापित किया गया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि लाभार्थी आधार-आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करके किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी एफपीएस से अपनी पात्रता का खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, प्रवासी लाभार्थियों की सुविधा के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जो उन्हें आस-पास के एफपीएस स्थानों, पात्रता विवरण और लेनदेन इतिहास की जानकारी प्रदान करता है। यह ऐप लाभार्थियों को उन एफपीएस दुकानों की पहचान करने में मदद करके सुवाह्यता को भी बढ़ावा देता है जहां ओएनओआरसी सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों के बीच ओएनओआरसी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित रूप से परामर्शिका, समीक्षा बैठकों और जमीनी स्तर पर जागरूकता अभियानों के माध्यम से अवगत कराया गया है।

(छ): ओएनओआरसी के तहत सुवाह्यता, पारदर्शिता और सुलभता को और बढ़ाने के लिए, विभाग स्मार्ट-पीडीएस प्रणाली को लागू कर रहा है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वास्तविक समय डाटा एकीकरण के साथ सूक्ष्मसेवा संरचना पर आधारित है।

यह एकीकृत डिजिटल ढांचा राज्यों के बीच लाभार्थी और लेनदेन डाटा के निर्बाध आदान-प्रदान को सक्षम बनाता है, जिससे अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी मजबूत होती है। इसके अलावा, डाटा की सटीकता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए आधार सीडिंग, ई-केवाईसी और लाभार्थियों के राष्ट्रीय स्तर पर डुप्लीकेशन हटाने जैसी पहलें की जा रही हैं।

(ज): विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत डिजिटल निगरानी और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए कई उपाय किए हैं।

सर्वप्रथम, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में टोल-फ्री हेल्पलाइन (1967/1800 श्रृंखला) की सार्वभौमिक उपलब्धता के माध्यम से शिकायत निवारण प्रणालियों को मजबूत किया गया है। इसके अतिरिक्त, व्हाट्सएप और आईवीआरएस चैनलों का उपयोग करते हुए एआई-सक्षम शिकायत निवारण मंच के रूप में अन्न सहायता (आशा) की शुरुआत की गई है, जिससे लाभार्थियों को अपनी पसंदीदा क्षेत्रीय भाषाओं में शिकायतें दर्ज करने और प्रतिक्रिया देने की सुविधा मिलती है।

मेरा राशन मोबाइल ऐप लाभार्थियों को उनकी पात्रता संबंधी जानकारी प्राप्त करने, लेनदेन का इतिहास देखने, आस-पास के एफपीएस (उचित दर दुकान) का पता लगाने और सीधे शिकायतें दर्ज करने के लिए एक एकीकृत इंटरफ़ेस भी प्रदान करता है।

इसके अलावा, सीपीग्राम्स प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण के माध्यम से निगरानी को मजबूत किया गया है, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शिकायत निवारण के लिए निर्धारित 21 दिनों की समयसीमा का पालन करने की सलाह दी गई है। डैशबोर्ड के माध्यम से लंबित शिकायतों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है और समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए आवधिक परामर्शिका जारी की जाती है। अधिक लंबित शिकायतों वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए विशेष रूप से चिह्नित किया जाता है।

ये सभी पहलें सामूहिक रूप से पारदर्शिता बढ़ाती हैं, जवाबदेही में सुधार करती हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत लाभार्थियों को समय पर सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करती हैं।
